मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 28.03.2025 को आयोजित 189 वीं बैठक का कार्यवृत्त

मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 189 वीं बैठक महानिदेशक महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 28 मार्च, 2025 (शुक्रवार) को मुख्यालय में आयोजित की गई।

बैठक के प्रारंभ मे बीमा आयुक्त महोदय ने सर्वप्रथम महानिदेशक का स्वागत किया और बीमा आयुक्त महोदय ने इस बारे में प्रसन्नता व्यक्त की कि राजभाषा से संबंधित कार्यान्वयन का कार्य निगम कार्यालयों और मुख्यालय में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। महानिदेशक महोदय को इस संबंध में सूचना देते हुए बीमा आयुक्त (राजभाषा) ने सदस्य सचिव से अनुरोध किया कि वह इस संबंध में विस्तार से अवगत कराएं तथा बैठक की कार्रवाई भी प्रारंभ करें।

राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई।

महानिदेशक महोदय ने इस संबंध में प्रसन्नता व्यक्त की कि राजभाषा कार्यान्वयन का कार्य पूरे देश में मेहनत से किया जा रहा है

तत्पश्चात बीमा आयुक्त ने महानिदेशक की अनुमति से सदस्य सचिव को बैठक प्रारंभ करने के लिए कहा।

सदस्य-सचिव ने महानिदेशक महोदय का स्वागत करने के साथ-साथ सभी बीमा आयुक्त, चिकित्सा आयुक्त, और वहां उपस्थित सभी अधिकारियों का भी अभिवादन किया और बैठक की कार्यवाही आरंभ की।

राजभाषा हिंदी में कार्य के संबंध में सदस्य सचिव ने चर्चा की। महानिदेशक महोदय ने हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की महत्ता पर विचार व्यक्त किए तथा उन्होंने अवगत कराया कि कोई भी भाषा छोटी अथवा बड़ी नहीं होती। सभी भाषाओं का अपना-अपना महत्व है। दक्षिण भारतीय भाषाओं के संबंध में भी चर्चा की गई। महानिदेशक महोदय ने अन्य भाषाओं में भी शब्दों में परस्पर साम्यता के संबंध में भी बात की। अतः सभी से कहा गया कि जब हिंदी में कार्य करें तो शब्दों को भी देखें और समझें । इसके साथ ही महानिदेशक महोदय ने अन्य भाषाओं की कुछ रोचक जानकारियां भी प्रस्तुत कीं।

188 वीं बैठक के निर्णयों पर कृत कार्रवाई

सदस्य-सचिव ने अवगत कराया कि यह विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 189 वीं बैठक है। पूर्व में दिनांक 24.12.2024 में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 188 वीं बैठक का आयोजन किया गया था और बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करने से पूर्व की 188 वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर चर्चा की गई और जो कार्रवाई राजभाषा शाखा के स्तर पर अपेक्षित थी उस पर की गई कार्रवाई से सभी को अवगत कराया गया।

- सदस्य-सचिव ने अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि संसदीय राजभाषा समिति निगम कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की स्थिति का राजभाषायी निरीक्षण समय-समय पर करती है और अवगत कराया गया कि संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण बहुत गंभीरता से किए जाते हैं।

अनुवाद अधिकारियों को लैपटॉप की आपूर्ति

- पूर्व की बैठक में इस बिंदु पर महानिदेशक महोदय ने अनुवाद अधिकारियों को लैपटॉप की आपूर्ति किए जाने के लिए निदेशित किया था जिससे तत्काल ही तथा कहीं से भी-कभी भी आवश्यकतानुसार तत्काल अनुवाद किया जा सके। इस विषय पर सामान्य शाखा तथा सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी शाखा के बीच परस्पर चर्चा की गई। इसके पश्चात् महानिदेशक महोदय ने इस विषय पर समुचित कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया जिसमें व्यय, पॉलिसी जॉचना, खरीद कर लेना-आदि को देखा जाना है।

राजभाषा कार्यान्वयन

- राजभाषा कार्यान्वयन में धारा 3(3), नियम-3, नियम-5, वार्षिक कार्यक्रम 2024-25, पत्राचार लक्ष्य आदि के संबंध में पूर्व में जारी कार्यवृत्त में लिए गए निर्णयों के अनुसार कृत कार्रवाई के संबंध में शाखाओं से चर्चा की गई।

समस्त चर्चा के उपरांत निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट करते हुए उसके अनुपालन के लिए अनुरोध किया गया :-

1) हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिए जाएं।
2) 'क' क्षेत्र में 'क' और 'ख' क्षेत्रों से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों के उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य है। इसका अनुपालन शत प्रतिशत किया जाए।
3) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के दस्तावेज अनिवार्य रूप से द्विभाषी में ही जारी किए जाएं।
4) जाँच बिन्दुओं पर अपेक्षानुसार कार्रवाई की जाए।
5) अनुवाद की अपेक्षा मूल रूप से कार्य हिंदी में ही किया जाए।
6) प्रवीणता प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी अपना समस्त कार्यालयीन कार्य हिंदी में करें।
7) हिंदी टंकण प्रशिक्षण प्राप्त सभी कर्मचारियों से शाखाओं में अनिवार्य रूप से हिंदी टंकण का कार्य कराया जाए।
8) सभी शाखाएं निर्धारित समय से राजभाषा शाखा को हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराएं ताकि उन पर अपेक्षित कार्रवाई समय पर की जा सके।

सदस्य-सचिव ने कहा कि सभी अधिकारी उपर्युक्त बिंदुओं को संज्ञान में लेते हुए कृपया इसका अनुपालन करें जिससे राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। सदस्य सचिव ने यह भी अवगत कराया कि 31 मार्च को समाप्त तिमाही के आंकड़ों पर चर्चा के साथ पूरे वर्ष के दौरान (वर्ष 2024-2025) किए गए राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा भी आगामी बैठक में की जाएगी।

बीमा आयुक्त (राजभाषा) द्वारा सदस्यों को परामर्श

मूल पत्राचार के संबंध में चर्चा के दौरान ही बीमा आयुक्त का कहना था कि 'क' क्षेत्र में तो मूल पत्र हिंदी में ही भेजे जाएं और किसी भी स्थिति में अंग्रेजी में कोई पत्र न जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी क्षेत्रों में लक्ष्य अनुसार पत्राचार करना अति आवश्यक है क्योंकि संसदीय समिति के निरीक्षण के समय वहां पर समुचित उत्तर देना अपेक्षित होता है।

इसके पश्चात् अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बैठक में मदों पर बिन्दुवार चर्चा की गई।

मद संख्या 1	विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 188 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि तथा बैठक में हुए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा।

सदस्य-सचिव ने सूचित किया कि पिछली बैठक दिनांक 24.12.2024 को आयोजित की गई थी। सभी सदस्यों एवं शाखाओं को बैठक का कार्यवृत्त को परिचालित कर दिया गया था। बैठक में कार्यवृत्त के आधार पर लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई का विवरण बैठक प्रारंभ करते समय प्रस्तुत किया गया। साथ ही आपत्ति/सुझाव के लिए अनुरोध किया गया। किसी भी सदस्य की ओर से कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। अतः कार्यवृत्त की पुष्टि के लिए अनुरोध किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मद संख्या 2	दिनांक 31.12.2024 को समाप्त अवधि की हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा।

सदस्य-सचिव ने शाखावार बार चार्ट के माध्यम से आंकड़े प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया कि जिन शाखाओं का पिछली तिमाही की तुलना में पत्राचार प्रतिशत कम रहा वे लक्ष्यानुसार पत्राचार करें। इस दौरान 'क' क्षेत्र, 'ख' क्षेत्र तथा 'ग' के साथ अलग-अलग बार चार्ट के माध्यम से पत्राचार में प्राप्त प्रतिशत और कमी आदि पर चर्चा की गई।

अध्यक्ष महोदय ने उन सभी शाखाओं को निदेशित किया जिनका पत्राचार प्रतिशत से कम है कि वे अपने अपने कार्य में राजभाषा हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग बढ़ाएं एवं मूल पत्राचार में लक्ष्य प्राप्त करें। सदस्य-सचिव ने कहा कि संसदीय समिति के निरीक्षण के समय महानिदेशक महोदय की उपस्थिति अनिवार्य रहती है। अतः राजभाषा से संबंधित दिशा-निर्देशों का गम्भीरता से पालन किया जाए।

अध्यक्ष महोदय ने शाखाओं को पत्राचार के लक्ष्य प्राप्त करने के निदेश दिए। इस संबंध में सदस्य-सचिव ने भी कहा कि आवश्यकता होने पर राजभाषा शाखा की सहायता ली जाए, परंतु मूल पत्राचार हिंदी में ही किया जाए। पत्रों का अनुवाद हिंदी में करवाने की अपेक्षा शाखाएं स्वयं पत्र का मसौदा हिंदी में बनाएं। हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी व अधिकारी अपना 100 प्रतिशत कार्य हिंदी में ही करें।

अध्यक्ष महोदय ने 'ग' क्षेत्र की समस्या को देखते हुए यह भी निदेश दिया कि द्विभाषी पत्राचार किया जाना उचित रहेगा। इस पर परस्पर विचार-विमर्श किया गया।

मद संख्या 3	फाइलों पर टिप्पणियां।

फाइलों पर टिप्पणियां हिंदी में लिखे जाने पर अवगत करवाया गया कि आलोच्य तिमाही के दौरान फाइलों पर कुल 48741 टिप्पणी पृष्ठों में से 46075 टिप्पणी पृष्ठ हिंदी में लिखे गए और टिप्पण 94.53% रहा। सदस्य-सचिव ने बताया कि यद्यपि इस अवधि में हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है तथापि आगे हमें इसे और बढ़ाना भी है और इसे बनाए रखने के प्रति विशेष जागरूक रहना है। उन्होंने अवगत कराया कि संपूर्ण कार्य ई-ऑफिस में किया जा रहा है जिसके लिए हिंदी टंकण संबंधी टूल्स की जानकारी आवश्यक हो गई है, अभी कुछ कार्मिक फोनेटिक पद्धति से फाइलों में हिंदी टंकण कर रहे हैं, जिन्हें इसकी जानकारी है। ई ऑफिस में वॉयस टाइपिंग के नए फीचर के संबंध में भी जानकारी दी गई। इसके साथ ही टिप्पणी लिखते समय ई-ऑफिस में उसके लिए अनुवाद की सुविधा के संबंध में पुनः अवगत कराया गया।

अध्यक्ष महोदय ने सभी को निदेश दिया कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपना अधिकाधिक कार्य हिंदी में करें, फाइलों में टिप्पणियां हिंदी में लिखें।

[कार्रवाई–मुख्यालय के संबंधित अधिकारी]

मद संख्या 4	राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन।

सदस्य-सचिव ने सदस्यों से धारा 3(3) के विषय में जानकारी मांगी। कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने इस संबंध में जानकारी दी। समिति बैठक में बताया गया कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में सामान्य आदेश, अनुदेश, परिपत्र, ज्ञापन आदि के अलावा अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, संविदा, करार, लाइसेंस, परमिट, टेंडर फार्म, नोटिस, संकल्प, नियम, संसद के पटल पर प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात, प्रशासनिक रिपोर्टें आदि सम्मिलित हैं। धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेजों की सूची पीपीटी के माध्यम से सदस्यों को दिखाई गई। यह भी अवगत कराया गया कि इस धारा के अंतर्गत सभी दस्तावेजों को हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किया जाना अनिवार्य है या तो पंक्ति दर पंक्ति अथवा पृष्ठ पर आगे-पीछे सामग्री द्विभाषी रूप में हो। धारा 3(3) के संबंध में अध्यक्ष महोदय ने गंभीरता से चर्चा की। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि वेबसाइट पर आदेश एक ही साथ दोनों भाषाओं में जारी किए जाएं।

[कार्रवाई–मुख्यालय की संबंधित शाखाएं]

मद संख्या 5	वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के संबंध में चर्चा।

सदस्य-सचिव ने अवगत कराया कि राजभाषा विभाग, भारत सरकार प्रत्येक वर्ष केन्द्र सरकार के कार्यालयों के लिए अप्रैल माह से लागू एक वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2024-25 का वार्षिक कार्यक्रम दिनांक 01 अप्रैल, 2024 को जारी किया जा चुका है। बीमा आयुक्त महोदय के हस्ताक्षर से सभी निगम कार्यालयों के लिए जारी किया गया है। भाषाई आधार पर पत्राचार के लक्ष्य 'क', 'ख', 'ग' क्षेत्र के अनुसार वार्षिक कार्यक्रम में ही दिए जाते हैं। इसमें राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, जिन्हें प्राप्त करना आवश्यक है। वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति के लिए सभी से अनुरोध किया गया। इसके साथ ही सदस्यों से 'क', 'ख', 'ग' क्षेत्र के लक्ष्य के संबंध में प्रश्न भी पूछे गए कि किस क्षेत्र से किस क्षेत्र को कितने प्रतिशत मूल पत्र हिंदी में प्रेषित किए जाने हैं। इस पर सदस्यों ने स्वयं लक्ष्य बताए।

सदस्य-सचिव ने अवगत कराया कि मुख्यालय 'क' क्षेत्र में स्थित है। वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हमारा मूल पत्राचार का लक्ष्य निम्नानुसार है :-

'क' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र के साथ 100% मूल पत्राचार
'क' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र के साथ 100% मूल पत्राचार
'क' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र के साथ 65% मूल पत्राचार

अध्यक्ष महोदय ने सभी शाखाओं को निदेशित किया कि वार्षिक कार्यक्रम से संबंधित मदों/लक्ष्यों पर अनुपालन करें।

[कार्रवाई–मुख्यालय की सभी शाखाएं]

मद संख्या 6	निर्धारित जांच-बिंदुओं पर चर्चा।

बैठक में जांच बिंदुओं की सूची प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रदर्शित की गई। सदस्य-सचिव ने जांच बिंदुओं को सभी सदस्यों के समक्ष पढ़ा तथा विस्तार से एक एक बिदु पर चर्चा की। सदस्य-सचिव ने सूचित किया कि राजभाषा विभाग, भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यालयों में जांच बिंदु स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2024-2025 के लिए मुख्यालय में जांच बिंदु अप्रैल 2024 को परिचालित किए गए। जांच बिंदुओं की सूची सभी को पढ़कर

सुनाई गई। सदस्य-सचिव ने सभी सदस्यों से जांच बिंदु के प्रति उत्तरदायी रहकर कार्य करने का अनुरोध किया गया। जॉच बिन्दुओं के कुछ अतिरिक्त पोस्टरों को बनवाए जाने के संबंध में सदस्य सचिव ने चर्चा की।

अध्यक्ष महोदय ने सभी जांच बिंदुओं को संज्ञान में लेते हुए सभी को अनुपालन करने के निदेश दिए।

[कार्रवाई–मुख्यालय की सभी शाखाएं]

मद संख्या 7	**राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन।**

सदस्य सचिव ने अवगत कराया कि हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएं। इस संबंध में उन्होंने राजभाषा नियम, 1976 के नियम-5 के विषय में अवगत कराया। अध्यक्ष महोदय ने सभी अधिकारियों से नियम-5 का अनुपालन गंभीरता से करने का निदेश दिया।

[कार्रवाई– नियम-5 – मुख्यालय की सभी शाखाएं]

मद संख्या 8	**राजभाषा नियम, 1976 के नियम 3 का अनुपालन।**

सदस्य-सचिव ने राजभाषा नियम, 1976 के नियम 3 पर चर्चा की। अध्यक्ष महोदय ने नियम 3 का गंभीरता से अनुपालन करने और संबंधित अधिकारियों को निदेश जारी करने के लिए निदेशित किया गया।

शाखावार आंकड़े प्रस्तुत करते हुए नियम 3 के अनुपालन के प्रति सजग रहने के लिए अनुरोध किया गया। यह भी अनुरोध किया गया कि 'क' और 'ख' क्षेत्रों के साथ पत्रोत्तर केवल हिंदी में ही किया जाए।

इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने जिन शाखाओं के द्वारा अनुपालन पूर्ण करने में थोड़ी बहुत कमी रह गई उसके लिए विशेष जागरूक रहने के निदेश दिए।

[कार्रवाई– नियम-3 – मुख्यालय की सभी शाखाएं]

मद संख्या 9	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।**

सदस्य-सचिव ने बताया कि मुख्यालय की सभी शाखाएं राजभाषा नियम 1976 के नियम 8 (4) के अंतर्गत अपना संपूर्ण कार्य हिंदी में करने के लिए विनिर्दिष्ट हैं। सदस्य-सचिव ने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त और कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त के संबंध में जानकारी प्रदान की। तत्पश्चात, सदस्य-सचिव ने ई-ऑफिस में टिप्पण-मसौदा लेखन (नोटिंग ड्रॉफ्टिंग) इत्यादि का अनुवाद करने से संबंधित जानकारी दी।

बीमा आयुक्त महोदय द्वारा निर्णय किए गए बिन्दु

यह चर्चा किए जाने पर की तिमाही बैठक में कुछ नये कार्य/चर्चा की जानी चाहिए। बीमा आयुक्त महोदय, ने इस संबंध में कहा कि राजभाषा से संबंधित नीति नियम और अधिनियमों के बारे में सभी को एक बार अवगत करा दिया जाए।

इसके पश्चात् हर तिमाही बैठक में किसी एक शाखा के अधिकारी उन बिंदुओं को बैठक में अपने स्तर से बताएंगे। इससे मुख्यालय की सभी शाखाओं के अधिकारियों को ये नियम याद हो जाएंगे।

प्रारम्भ में यह कार्य चिकित्सा शाखा से प्रारंभ किया जाए इस पर सहमति भी बनी।

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के मुख्य बिंदु :-

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 189 वीं बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए निदेश, लिए निर्णय तथा अपेक्षित कार्रवाइयां :

1.	धारा 3(3) के दस्तावेज अनिवार्य रूप से द्विभाषी में ही जारी किए जाएं।	**कार्रवाई–** **मुख्यालय की सभी शाखाएं, निगम के सभी कार्यालय**
2.	हिंदी टंकण प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिकों से हिंदी टंकण की सेवाएं ली जाएं।	**कार्रवाई–** **मुख्यालय की सभी शाखाएं, निगम के सभी कार्यालय**
3.	हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएं।	**कार्रवाई–** **मुख्यालय की सभी शाखाएं, निगम के सभी कार्यालय**
4.	मूल पत्राचार हिंदी में किया जाए तथा लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित की जाए।	**कार्रवाई–** **मुख्यालय की सभी शाखाएं, निगम के सभी कार्यालय**
5.	प्रवीणता प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी समस्त कार्यालयीन कार्य हिंदी में करें।	**कार्रवाई–** **मुख्यालय की सभी शाखाएं, निगम के सभी कार्यालय**
6.	अनुवाद की अपेक्षा मूल रूप से हिंदी में ही कार्य किया जाए।	**कार्रवाई–** **मुख्यालय की सभी शाखाएं, निगम के सभी कार्यालय**
7	सभी शाखाएं निर्धारित समय तक या उससे पूर्व राजभाषा शाखा में हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।	**कार्रवाई–** **मुख्यालय की सभी शाखाएं**
8	'ग' क्षेत्र में पत्राचार द्विभाषी रूप में करने में 'ग' क्षेत्र के राज्यों को आसानी रहेगी।	**कार्रवाई–** **मुख्यालय की सभी शाखाएं**
9.	'क' क्षेत्र में 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों के उत्तर भी हिंदी में ही दिए जाएं।	**कार्रवाई–** **मुख्यालय की सभी शाखाएं**
10	विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करें।	**कार्रवाई–** **विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य**

अंत में महानिदेशक महोदय, ने सभी सदस्यों से कहा कि वे राजभाषा कार्यान्वयन में मूल पत्राचार लक्ष्य प्राप्ति के लिए भरसक प्रयास करें। नियम-5, नियम-3, का अनुपालन सुनिश्चित करें। फाइलों पर टिप्पणियां हिंदी में लिखें और समस्त राजभाषा कार्यान्वयन इस प्रकार सुनिश्चित करें जिससे लक्ष्य प्राप्ति भी हो और संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के समय कोई अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न न हो।

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 189 वीं बैठक में महानिदेशक महोदय द्वारा चर्चा के दौरान आए विशेष बिंदु

• जिन शाखाओं द्वारा अंग्रेजी में कुछ पत्राचार किया है वह अपनी समस्या का समाधान करते हुए अपना समस्त कार्य और पत्राचार हिंदी में ही करें।

• शाखाओं द्वारा धारा 3(3),नियम-3 और नियम-5 का अनुपालन करना अनिवार्य है।

• अनुवाद में क्लिष्ट शब्दों की अपेक्षा ऐसे शब्द रखे जाएं जो सरलता से समझ आए। सभी भाषाएं अपने आप में समृद्ध भाषाएं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सामंजस्य बिठाते हुए राजभाषा हिंदी में कार्य करें।

• हिंदी में सभी को मिल जुल कर एक साथ कार्य करना है और हिंदी के प्रति लगाव रखना है।
• राजभाषा हिंदी में काम करने में झिझक को दूर किया जाए और इसके लिए पूरे कार्यालय में मानसिकता तैयार की जाए जिससे कामकाज में झिझक महसूस न हो।
• हर भाषा में अच्छे तत्व होते हैं उनका प्रयोग करते हुए अपनी भाषा को समृद्ध बनाएं।
• भाषा को पोषित करें।

वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में अधिकारियों को हिंदी की एक-एक पुस्तक दी जा रही है। कुछ अच्छी पुस्तकों के संबंध में सभी अपने अपने सुझाव दें।

- अनुवाद अधिकारियों को तात्कालिक अनुवाद तथा अन्य अधिकारियों के लिए लैपटॉप की आपूर्ति के संबंध में पूर्व की बैठक में जो निदेश दिए गए थे उस पर कार्यवाही की जाए।
- राजभाषा कार्यान्वयन का दायित्व सभी का है। अत: सभी अधिकारी मिलकर लक्ष्य प्राप्त करें।

महानिदेशक महोदय द्वारा निर्णय किए गए कुछ विशेष बिंदु

सदस्य सचिव ने माना कि प्रत्येक तिमाही राजभाषा कार्यान्वयन समिति को बैठक महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर लगातार चर्चा करते रहने से एक जैसी बैठक की जा रही है। इसे और गंभीरता से करने के लिए कुछ नए उपाय किए जाने आवश्यक है।

महानिदेशक महोदय ने कहा कि प्रौद्योगिकी का लाभ लेते हुए राजभाषा हिंदी में काम करना बहुत सरल हो गया है। नई तकनीकें निरंतर आ रही हैं हमें वो सीखनी चाहिए और उसका अभ्यास होना चाहिए, साथ ही सार्थक चर्चाएं भी की जाएं।

बैठक के अंत में महानिदेशक महोदय ने शब्द, अन्य भाषाएं, ऋतुएं, भारतीय नववर्ष, अनुवाद, शब्दों आदि पर विस्तार से चर्चा भी की तथा महत्वपूर्ण व उपयोगी जानकारी भी प्रदान की। चर्चा बहुत सार्थक रही जिसमें सभी अधिकारियों ने भी परस्पर विचार-विमर्श किया।

अंत में राजभाषा कार्यान्वयन को और अधिक गंभीरता से किए जाने के आह्वान के साथ महानिदेशक महोदय का आभार तथा सभी का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्त की गई।

Digitally signed by
Shyam Kumar
Date: 30-04-2025

(श्याम कुमार)
सदस्य-सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 28.03.2025 की 189 वीं बैठक में उपस्थित अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की सूची।

क्र.सं.	**अधिकारी का नाम एवं पदनाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री**	**पदनाम**	
1.	अशोक कुमार सिंह	महानिदेशक	अध्यक्ष
2.	रत्नेश कुमार गौतम	बीमा आयुक्त (रा.भा)	सदस्य
3.	दीपक जोशी	बीमा आयुक्त	सदस्य
4.	डॉ कमलेश हरीश	चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
5.	डॉ मधु गुप्ता	उप चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
6.	डॉ अनीता करनवाल	उप चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
7.	डॉ पवन कुमार	उप चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
8.	डॉ सुपर्णा पोपली	उप चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
9.	डॉ मोना वर्मा	उप चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
10.	एम जॉर्ज	निदेशक	सदस्य
11.	विजय बोकोलिया	संयुक्त निदेशक	सदस्य
12.	हरशरण मीणा	संयुक्त निदेशक	सदस्य
13.	डी. गांगते	संयुक्त निदेशक	सदस्य
14.	पी.एन.बोईपी	संयुक्त निदेशक	सदस्य
15.	जोस मार्टिन सी.जी	संयुक्त निदेशक	सदस्य
16.	एस.विजय आनंद	संयुक्त निदेशक	सदस्य
17.	श्रीमती रूपा बैनर्जी	संयुक्त निदेशक	सदस्य
18.	चन्द्रभानु झाा	संयुक्त निदेशक	सदस्य
19.	प्रवीण कुमार मिश्रा	संयुक्त निदेशक	सदस्य
20.	दिग्विजय प्रसाद सिन्हा	संयुक्त निदेशक	सदस्य
21.	राकेश कुमार	संयुक्त निदेशक	सदस्य
22.	बृजेश	संयुक्त निदेशक	सदस्य
23.	राकेश कुमार	संयुक्त निदेशक	सदस्य
24.	जय प्रकाश शर्मा	संयुक्त निदेशक	सदस्य
25.	श्रेयस सिंह	उप निदेशक	सदस्य
26.	जानकी सिंह	उप निदेशक	सदस्य
27.	संजय कुमार	उप निदेशक	सदस्य
28.	लक्षिता	उप निदेशक	सदस्य
29.	दिव्या यादव	उप निदेशक	सदस्य
30.	गौंराग	उप निदेशक	सदस्य
31.	अमित	उप निदेशक	सदस्य
32.	सोनल गुलाटी	उप निदेशक	सदस्य
33.	राकेश कुमार	उप निदेशक	सदस्य
34.	दीपक कुमार	सहायक निदेशक	सदस्य
35.	सन्नी कुमार	सहायक निदेशक	सदस्य
36.	पंकज कुमार	सहायक निदेशक	सदस्य
37.	संदीप शर्मा	निजी सचिव	सदस्य प्रतिनिधि
38.	त्रिरत्न	उप निदेशक (राजभाषा)	सदस्य
39.	श्याम कुमार	संयुक्त निदेशक(राजभाषा)	सदस्य सचिव

उपर्युक्त के अलावा राजभाषा शाखा के कार्मिक/अधिकारी भी बैठक में सहायतार्थ उपस्थित थे।